

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था/2021/4847

दिनांक 24/12/2021

// कार्यालयीन आदेश //

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 9-4/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28/05/2021 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) के अंतर्गत शासकीय अंशदान (नियोक्ता) की राशि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 के अनुसार नियोक्त अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25/09/2006 के बिन्दु क्रमांक (B) में समतुल्य शासकीय अंशदान के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

“ कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते (डी0ए0) का 10 प्रतिशत होगा और राज्य शासन का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।”

उपरोक्त प्रावधान विश्वविद्यालय में दिनांक 01/04/2021 से लागू किया जाता है। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ0 क्रमांक/प्रशा0/2021/4847

ग्वालियर, दिनांक 24/12/2021

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके परिपत्र दिनांक 08/05/2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


सहा0/उप-कुलसचिव(प्रशा0)